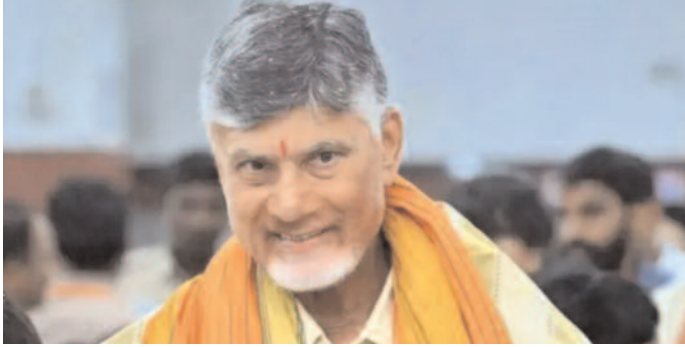


संपादकीय

कुशलता बढ़ाइए

आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य में जन्मदर बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने फाइनेंशल इन्सैटिव्स देने की योजना बनाई है। चंद्रबाबू के इस फैसले के पीछे सामाजिक से ज्यादा राजनीतिक कारण हैं।



कनाडा आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य में जन्मदर बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने फाइनेंशल इन्सैटिव्स देने की योजना बनाई है। चंद्रबाबू के इस फैसले के पीछे सामाजिक से ज्यादा राजनीतिक कारण हैं। हालांकि आबादी के मामले में चीजें इस तरह से काम नहीं करती हैं।

विरोधी विचार: नायडू का कहना है कि परिवार जितना बड़ा होगा, उसे उतना ही ज्यादा आर्थिक अनुदान मिलेगा। इससे पहले वह महिलाओं के लिए कितनी भी बार मैटर्निटी लीव और वर्कप्लेस पर बच्चों के लिए सेंटर जैसे नियम बना चुके हैं। विडंबना है कि इसी आंध्र प्रदेश में ऐसे लोगों को निकाय चुनानों में खड़े होने से रोकने के लिए नियमों में बदलाव किया गया था, जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं।

सीटों की चिंता: आंध्र की पॉलिसी में यह बदलाव आया कैसे? इसका जवाब बहुत कुछ संख्या बल की राजनीति में है। आंध्र समेत दक्षिण के सभी राज्यों में यह चिंता है कि कम आबादी की वजह से उनकी राजनीतिक हैसियत में कमी आई है। पर्सिमीनन पर दक्षिण का विरोध इसी वजह से है कि उत्तर के राज्यों की तुलना में उनके यहां लोकसभा की सीटें कम बढ़ सकती हैं और इससे देश की सियासत में वह कमजोर पड़ जाएगा। चंद्रबाबू इसी के चलते दक्षिणी राज्यों से अपनी

जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार करने की अपील कर रहे हैं।

चीन का उदाहरण: हालांकि जनसंख्या इस तरह स्टॉप-स्टार्ट मोड में काम नहीं करती और इसका सबसे बड़ा उदाहरण चीन है। पेइचिंग ने करीब चार दशकों तक वन चाइल्ड पॉलिसी का सख्ती से पालन किया। जब इसका असर उसकी वर्कफोर्स पर पड़ा, तो 2015 में उसने दो बच्चों और फिर तीन बच्चों तक की छूट दे दी, लेकिन इससे उसकी जन्मदर पर खास फर्क नहीं पड़ा।

जन्म दर में गिरावट: दक्षिण का डर कि उसकी आबादी गिर रही है, तस्वीर को अधूरा देखना है। असल में पूरे देश में जन्म दर में गिरावट आई है। सैपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की 2021 की रिपोर्ट बताती है कि देश में फर्टिलिटी रेट 2.0 है यानी हर कपल औसतन दो बच्चे पैदा कर रहा है। सबसे कम, 1.4 टीएफआर दिल्ली और पश्चिम बंगाल का था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में फर्टिलिटी रेट 1.5, जबकि तेलंगाना और कर्नाटक में 1.6 दर्ज की गई थी।

असल लक्ष्य: शिक्षा के साथ आई जागरूकता के कारण पिछले दशक से आबादी में बढ़ोत्तरी नियंत्रण में आई है। भारत के सामने समस्या जनसंख्या घटने की नहीं, बल्कि यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को किस तरह स्किल्ड बनाया जाए ताकि वे भी विकास में साझेदार हों और उनके जीवन स्तर में सुधार आए।

मणिपुर में वर्ष 2023 से जातीय संघर्ष चल रहा है। तब से हिंसा में कई लोगों की जान जा चुकी है और मैतेई और कुकी दोनों ही समुदायों के हजारों लोगों को विस्थापन का दर्द भी झेलना पड़ा है।

मणिपुर में फिर से भड़की हिंसा की आग, साल 2023 के जातीय संघर्ष से जुड़े हुए हैं तार

मणिपुर में कुछ दिनों की शांति के बाद फिर से हिंसा भड़क उठी है। जगह-जगह विरोध प्रदर्शन और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। सड़कों पर सुरक्षा बलों का सख्त पहरा है। कई इलाकों में निषेधाज्ञा लागू है और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। इससे पहले भी राज्य को कई मर्तबा हिंसा की त्रासदी झेलनी पड़ी है। इस बार हिंसा का प्रत्यक्ष कारण भले ही मैतेई समुदाय के एक नेता समेत पांच लोगों की गिरफ्तारी है, लेकिन इसके तार वर्ष 2023 में हुई जातीय हिंसा से ही जुड़े हुए हैं।

सवाल है कि जातीय आधार पर लोगों के गुस्से का ज्वार आखिर शांत क्यों नहीं हो रहा है? लोगों को भावनात्मक रूप से भड़काने के पीछे कौन है? ऐसी क्या वजह है कि लोग किसी सामान्य घटना को भी समुदाय से जोड़ लेते हैं और सड़कों पर उतर कर उग्र व्यवहार करने लगते हैं?

हिंसा की वजह से ही एन बीरेन सिंह को गंवानी पड़ी थी मुख्यमंत्री की कुर्सी

मणिपुर में वर्ष 2023 से जातीय संघर्ष चल रहा है। तब से हिंसा में कई लोगों की जान जा चुकी है और मैतेई और कुकी दोनों ही समुदायों के हजारों लोगों को विस्थापन का दर्द भी झेलना पड़ा है। हिंसा का सिलसिला जारी रहने की वजह से एन बीरेन सिंह को इस साल



फरवरी में मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा था। उसके बाद से यहां राष्ट्रपति शासन लागू है। तब से राज्य में हिंसा की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई। माना जा रहा था कि अब हालत सामान्य हो रहे हैं। मगर राज्य के सिर पर शांति का यह सेहरा ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया।

दरअसल, सीबीआइ ने गत रविवार को मैतेई संगठन अरंमबाई तेंगोल (एटी) के सदस्य

कानन सिंह को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा चार अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई। इन सब पर वर्ष 2023 में हुई हिंसा से संबंधित विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है। जांच एजंसी का कहना है कि आरोपी कानन सिंह मणिपुर पुलिस में हेड कांस्टेबल था, लेकिन उसे मार्च 2025 को हथियारों की तस्करी सहित विभिन्न आपराधिक

गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण बर्खास्त कर दिया गया था।

किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती हिंसा

सीबीआइ की इस कार्रवाई के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। इस पूरे घटनाक्रम में गौर करने वाली बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति पर हिंसक एवं आपराधिक घटनाओं में संलिप्त होने के आरोप में कार्रवाई होती है, तो इसे समुदाय विशेष से जोड़ कर क्यों देखा जा रहा है। जांच के जरिए इस बात का पता लगाने की जरूरत है कि कहीं कोई लोगों की भावनाओं को भड़का कर अपने निजी स्वार्थ हासिल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? साथ ही प्रशासनिक अमले और जनप्रतिनिधियों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे जन आक्रोश को शांत करने के लिए संबंधित लोगों के साथ तत्काल संवाद कायम करें।

प्रदर्शनकारियों को भी यह बात समझनी होगी कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। अगर उनके नेता पर लगे आरोपों को लेकर किसी तरह का संदेह है, तो न्यायपालिका पर विश्वास रखना चाहिए। सड़कों पर उत्पात मचाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से कुछ हासिल नहीं होगा।

पति-पत्नी दोनों को एक दूसरे पर होना चाहिए भरोसा

भारत में विवाह एक पवित्र बंधन है, जिसमें जीवन भर के रिश्ते की बुनियाद पड़ती है। एक विश्वास के साथ युगल अपने नए जीवन की यात्रा आरंभ करता है। पति और पत्नी दोनों को भरोसा होता है कि जब भी वे मुश्किल डगर पर होंगे, तो एक-दूसरे को संभाल लेंगे। इंदौर के राजा रघुवंशी शादी के एक हफ्ते बाद अपनी मधुर स्मृतियों को सहेजने के लिए पत्नी के साथ जब मेघालय गए होंगे, तब उन्हें पता नहीं होगा कि वे कभी लौट कर घर नहीं

आएंगे और उनका हनीमून एक भयावह घटना में बदल जाएगा। शिलांग में पर्यटन के दौरान यह नवयुगल लापता हो गया था। इसके बाद एक खाई में राजा का शव मिला। तब से उनकी पत्नी सोनम गायब थी। पुलिस उसे ढूंढती रही। सात दिन बाद पता चला कि वह गाजीपुर में है। इसके बाद देश को झकझोर देने वाली इस घटना से पर्दा उठ गया। पुलिस का दावा है कि सोनम ने ही पति की हत्या भाड़े के हत्यारों से कराई है। उसने आत्मसमर्पण

जरूर कर दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर उसे आपत्ति थी, तो उसने यह शादी ही क्यों की?

मारपीट और हत्या के मामले बढ़े

पिछले एक अरसे में नवदंपतियों के बीच बढ़ते अविश्वास और मतभेद के कारण कलह, मारपीट और तलाक के मामले बढ़े हैं। जीवन भर एक-दूसरे का साथ निभाने का जो वचन दिया जाता है, वह कुछ दिनों या महीनों में टूटने लगता है। दोनों पक्ष के परिवारों के समझाने-

बुझाने पर भी कई बार पति-पत्नी साथ नहीं रहते और नवयुगल का घरोंदा बसने से पहले ही उजड़ जाता है।

मार सवाल है कि वे कौन से कारण हैं, जिनकी वजह से नवदंपतियों में टकराव की नौबत पैदा होती है। इसे समझना होगा। दरअसल, इसके पीछे अति महत्वाकांक्षा, सुख-सुविधाएं और अवैध संबंध तो हैं ही, वहीं परिवार के दबाव में अनिच्छा से की गई शादी भी बड़ी वजह है।

कंपनी को 3 गुना हुआ मुनाफा, 6 महीने से बंद पड़ा है शेयर, अब दी गई एक नई जानकारी

कंपनी के शेयरों में 30 दिसंबर 2024 के बाद से कारोबार नहीं हुआ है। इसका अंतिम ट्रेडिंग प्राइस 10.28 रुपये है। यानी पिछले 6 महीने से इस शेयर में कोई कारोबार नहीं हुआ है।



है। सेबी ने इसके कारोबार पर रोक लगाई थी। अब कंपनी ने बाजार को नई जानकारी दी है। कंपनी ने शेयर बाजार से अपने कार्यालय का पता बदलने की जानकारी शेयर की है।

कंपनी ने क्या कहा?

सेबी विनियम, 2015 के विनियमन 30 के अनुसार, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड का

रजिस्टर्ड पता 9 जून, 2025 से बदल जाएगा, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है: पुराना पंजीकृत पता - फ्लोर: 5, फेयरीलैंड बाय मैरियट, रोड नंबर 2, नानकरामगुडा, गाचीबोवली, हैदराबाद - 500032, तेलंगाना। नया पंजीकृत पता (9 जून, 2025 से प्रभावी) - 6-3-1086/बीजीटी/101/बी, विस्टा

1 पर 7 शेयर फ्री दे रही है यह कंपनी, साथ ही डिविडेंड भी

इंटरलाइनिंग टेक्सटाइल के आयात, डिस्ट्रिब्यूटर और कारोबार में शामिल कंपनी शाइन फैशन (इंडिया) लिमिटेड के शेयर इन दिनों लगातार फोकस में हैं। इंटरलाइनिंग टेक्सटाइल के आयात, डिस्ट्रिब्यूटर और कारोबार में शामिल कंपनी शाइन फैशन (इंडिया) लिमिटेड के शेयर इन दिनों लगातार फोकस में हैं। कंपनी के शेयर में आज मंगलवार को 5व्र से अधिक चढ़ गए और 422 रुपये पर पहुंच गए थे। शेयरों में इस तेजी के पीछे बोनस शेयर का ऐलान है। दरअसल, कंपनी अपने शेयरहोल्डर्स को 7:1 के रेशियो में बोनस शेयर दे रही है। साथ ही कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। अब कंपनी ने इसके रिकॉर्ड डेट पर एक ऐलान किया है।

पिछली बोर्ड मीटिंग में तय की गई 4 जुलाई, 2025 की रिकॉर्ड तिथि केवल डिविडेंड की घोषणा के लिए तय की गई है, न कि बोनस शेयर जारी करने के लिए। इसलिए, हम बोनस शेयर जारी करने की रिकॉर्ड तिथि वापस लेते हैं और उचित अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने पर इसकी घोषणा अलग से की जाएगी।

डिविडेंड दे रही है कंपनी

बता दें कि शाइन फैशन ने हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है, -बोर्ड मेंबर ने 06.05.2025 को आयोजित अपनी पिछली बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूरी तरह से भुगतान किए गए 5 रुपये (2.5₹) के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 12.50 पैसे का डिविडेंड देने की सिफारिश की है, जो आगामी 6वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।

एफडी से सेविंग अकाउंट तक, एचडीएफसी बैंक ने जमा पैसे पर दिया बड़ा झटका

एचडीएफसी बैंक ने अपनी सावधि जमा (एफडी) और सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में कटौती की है। बैंक अब विभिन्न एफडी अवधियों पर कम ब्याज दर प्रदान करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में रेपो दर में कटौती के बाद सेविंग करने वाले निवेशकों को कई बड़े बैंकों ने झटका दिया है। इनमें से एक प्राइवेट सेक्टर का एचडीएफसी बैंक है। बैंक ने अपनी सावधि जमा (एफडी) और सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में कटौती की है। बैंक अब विभिन्न एफडी अवधियों पर कम ब्याज दर प्रदान करता है। एफडी पर ब्याज दर 3प्रतिशत से 7.20प्रतिशत के बीच है। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों को सभी अवधियों में 0.50प्रतिशत अधिक ब्याज मिलना जारी है।

किस अवधि के एफडी की कितनी ब्याज दर

7-14 दिन की अवधि के लिए सामान्य नागरिकों को एफडी पर 2.75प्रतिशत ब्याज और सीनियर सिटीजन को 3.25प्रतिशत ब्याज



मिलता है। वहीं, 30-45 दिन की अवधि के लिए क्रमशः 3.25 प्रतिशत और 3.75प्रतिशत ब्याज मिलता है। 90 दिन से 6 महीने तक की अवधि के लिए 4.25प्रतिशत और 4.75प्रतिशत ब्याज दर मिलता है। 18 महीने से 21 महीने की अवधि के लिए बैंक सामान्य नागरिकों को 6.60प्रतिशत ब्याज और सीनियर सिटीजन को 7.10प्रतिशत ब्याज देता है।

बैंक ने सेविंग अकाउंट वाले निवेशकों को भी झटका दिया है। बैंक ने 50 लाख रुपये से अधिक के खाते के बैलेंस के लिए ब्याज दर को 3.50प्रतिशत से घटाकर 3.00प्रतिशत कर दिया है। 50 लाख रुपये से कम के बैलेंस पर 3.00प्रतिशत ब्याज मिलना जारी रहेगा।

लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत: हाल ही में एचडीएफसी बैंक

ने अपनी कोष की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) में विभिन्न अवधियों में 0.10 प्रतिशत की कटौती की थी। कटौती के साथ, एक दिन की और एक महीने की दरें 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 8.90 प्रतिशत रह गई हैं। तीन महीने की दर 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 8.95 प्रतिशत हो गई है, जबकि छह महीने और एक साल की दर 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 9.05 प्रतिशत रह गई हैं। बता दें कि आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में अपेक्षा से अधिक 0.50 प्रतिशत की कटौती की और बैंकों को उधार देने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने हेतु अप्रत्याशित रूप से नकद आरक्षित अनुपात में कटौती की।

आईपीओ के लिए 26 साल पुरानी कंपनी की बड़ी तैयारी, 17 निवेश बैंकों से हो रही बात

हाल ही में इस कंपनी ने अपने मेगा आईपीओ के लिए 17 निवेश बैंकों से बातचीत की है। बता दें कि यह एक ज्वाइंट वेंचर है जो 26 वर्षों से अस्तित्व में है।



दिग्गज एसेट मैनेजमेंट कंपनी-आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आईपीओ की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाल ही में इस कंपनी ने अपने मेगा आईपीओ के लिए 17 निवेश बैंकों से बातचीत की है। बता दें कि यह एक ज्वाइंट वेंचर है जो 26 वर्षों से अस्तित्व में है। ज्वाइंट वेंचर में आईसीआईसीआई बैंक ने ब्रिटेन की प्रूडेंशियल पीएलसी के साथ गठजोड़ किया था।

17 निवेश बैंकों में कौन-कौन शामिल

निवेश बैंकों के बड़े सिंडिकेट में आईसीआईसीआई सिक्वोरिटीज और सिटी शामिल हैं। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, कोटक महिंद्रा कैपिटल, बोफा सिक्वोरिटीज, आईआईएफएल कैपिटल, नोमुरा सिक्वोरिटीज, जेएम फाइनेंशियल, मोतीलाल ओसवाल, एवेंडस कैपिटल, नुवामा, बीएनपी पारिबा, सीएलएसए सिक्वोरिटीज और एस्बीआई कैपिटल भी हैं। यह दूसरा ऐसा आईपीओ होगा जिसमें इतने निवेश बैंक शामिल होंगे। इससे पहले भारतीय इंग्रटेल ने अपने आईपीओ के लिए 13 निवेश बैंकों को नियुक्त किया था। इसके अलावा कानूनी फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास, शार्दूल अमरचंद मंगलदास और सिडली की प्रस्तावित आईपीओ के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

आईसीआईसीआई की ये कंपनियां हैं लिस्ट

आईसीआईसीआई बैंक के अलावा, आईसीआईसीआई समूह की कई अन्य कंपनियां भी सूचीबद्ध हैं। इनमें से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई लोम्बाडी जनरल इश्योरेंस कंपनी और आईसीआईसीआई सिक्वोरिटीज शामिल हैं।

युवाओं में रोष, मुँह ताकते रहें कुछ बड़बोले नेता

लालबर्ग | राष्ट्रबाण

प्रदेश सरकार के द्वारा विगत माह विभिन्न विकासखण्डों में नवीन शासकीय आईटीआई की स्वीकृति दी गई थी। जिसमें लालबर्ग विकासखंड में भी शासकीय आईटीआई स्वीकृत किया गया है। जिसके लिए शासन के निर्देशानुसार तकनीकी एवं कौशल विकास विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा नवीन शासकीय आईटीआई खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी। जिसके लिए बालाघाट स्थित शासकीय आईटीआई के अधिकारी एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा भवन निर्माण के लिए भूमि का चयन एवं वैकल्पिक रूप से कक्षाएं संचालित करने के लिए शासकीय भवनों का निरीक्षण कर नवीन सत्र 2025-26 में कक्षाएं संचालित करने के लिए भवन चिन्हांकित भी किया था और अस्थायी रूप से शासकीय उत्कृष्ट स्कूल लालबर्ग के सामने स्थित सामुदायिक भवन में संचालित किया जाना था। किन्तु यह पूरी प्रक्रिया स्पष्ट तौर से हवा हवाई ही नजर आ रही है क्योंकि वर्तमान में तकनीकी एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा आईटीआई में सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और यह पूरी प्रवेश प्रक्रिया संबंधित विभाग की साइट (पोर्टल) पर ऑनलाइन की जा रही है। जिसमें विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत आईटीआई चयनित करने के विकल्प रहे हैं। जिसमें लालबर्ग के युवाओं के द्वारा नवीन आईटीआई स्वीकृत होने की बात सुनने पर जब प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन सेंटर में पहुंच रहे हैं तो इस प्रवेश प्रक्रिया के दौरान संस्थान चयन सूची में उन्हें लालबर्ग शासकीय आईटीआई का किसी तरह का कोई भी नाम दिखाई नहीं दे रहा। जिससे वह निराश नजर आ रहे हैं और मजबूरन जिले की अन्य आईटीआई को चर्चात कर इस प्रवेश प्रक्रिया का फॉर्म पूर्ण कर रहे हैं।

निरिक्षण पर निरीक्षण नतीजा सिफर
आपकों बता दे कि म.प्र. शासन के द्वारा लालबर्ग विकासखंड में नवीन आईटीआई स्वीकृति का पत्र जारी होते ही क्षेत्रीय विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे एवं संबंधित विभाग के आला अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के द्वारा लालबर्ग मुख्यालय पहुंचकर शासकीय भूमियों का निरीक्षण

भटेरा पंचायत में विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

लैंगिक एवं सायबर अपराधों से कराया गया अवगत

बालाघाट | राष्ट्रबाण

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्राणेश कुमार प्राण के मार्गदर्शन में मंगलवार को ग्राम पंचायत भटेरा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित जिला विधिक सहायता अधिकारी जीतेन्द्र मोहन धुर्वे द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं निशुल्क विधिक सहायता योजना एवं साईबर अपराधों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अधिकांश सायबर अपराध मानवीय लापरवाही के कारण होते हैं। इसलिए हमें सावधान एवं जागरूक रहने की आवश्यकता है। साथ ही श्री धुर्वे ने उपस्थित ग्रामीण जनों को घरेलू हिंसा अधिनियम व



दहेज प्रतिषेध अधिनियम, प्रिलिटिंगेशन मीडिएशन एवं लोकोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी।

शिविर में मध्यस्थता की जानकारी देते हुए श्री धुर्वे ने बताया कि मध्यस्थता विवादों को निपटाने की सरल एवं निष्पक्ष प्रक्रिया है, मध्यस्थ दबाव रहित वातावरण में विभिन्न पक्षों के विवादों का निपटारा कराता है। मध्यस्थता के लाभों के बारे में

बताते हुए कहा गया कि विवादों का अविलम्ब एवं शीघ्र समाधान होता है, मध्यस्थता की प्रक्रिया पूर्णतः गोपनीय होती है, सामाजिक सद्भावना कायम रखने में सहायक होता है। शिविर में उपस्थित डिफेंस कार्डिसल दुर्गेश लिमजे एवं चन्देश नागेश्वर द्वारा डिफेंस कार्डिसल योजना के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच, पैरालील वॉलेंटियर एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

कराते अकादमी चयन स्पर्धा का हुआ आयोजन

जिला मुख्यालय के साथ ही विभिन्न विकासखण्ड के भी प्रतिभागी हुए शामिल

बालाघाट | राष्ट्रबाण

मप्र शासन खेल और युवा कल्याण विभाग के आदेशानुसार खेले बढ़ो अभियान के तहत जिले में जिला स्तर कराते अकादमी चयन स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस स्पर्धा में जिले के विभिन्न विकास खंडों और जिला मुख्यालय के खिलाड़ियों ने भाग लिया।

मप्र मार्शल आर्ट अकादमी के प्रमुख कोच और सहप्रशासक श्री हर्षित विश्वकर्मा ने खिलाड़ियों का कराते स्क्रल टेस्ट और कराते खेल की विभिन्न विधाओं का परीक्षण लिया। चयन स्पर्धा में 13 से 20 वर्ष आयु के बालक और बालिका कराटे खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयनित खिलाड़ियों को



26, 27 और 28 जून को राज्य स्तर चैनल स्पर्धा में भाग लेने के लिए टीटी नगर स्टेडियम भोपाल जाना होगा। द्वितीय राज्य स्तर की चयन स्पर्धा 1 दिन की होगी। राज्य चैनल स्पर्धा के लिए खिलाड़ियों को अपने आने-जाने परिवहन व भोजन के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी। अकादमी में चयन

होने के पश्चात सभी सुविधाएं मेडिकल, पढ़ाई आदि विभाग द्वारा प्रदान की जाएंगी। जिला स्तर पर इस आयोजन में सहयोग के लिए जिला खेल प्रशिक्षक सजिन्द्र कृष्णन, कार्यालय प्रभारी केदारनाथ ठाकरे, खेल युवा समन्वयक राजेश बंमुरे और अन्य उपस्थित रहे।

नवीन सत्र में प्रवेश के लिए पोर्टल से गायब लालबर्ग शासकीय आईटीआई का नाम

लालबर्ग आईटीआई मामले में भाजपा व कांग्रेस दोनों फेल



आईटीआई के लिए जमीन का निरीक्षण करते जनप्रतिनिधि।

आईटीआई प्रारम्भ करने नहीं मिली प्रशासकीय स्वीकृति

वहीं शासकीय आईटीआई बालाघाट के जिम्मेदारों का कहना है कि शासन स्तर से लालबर्ग में शासकीय आईटीआई वर्ष 2025-26 से शुरू करने की प्रशासकीय स्वीकृति नहीं हुई है जिसके कारण पोर्टल में लालबर्ग शासकीय आईटीआई नहीं दिखा रहा है, प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद ही लालबर्ग में आईटीआई खुलेगी। जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि लालबर्ग में वर्ष 2025-26 में आईटीआई नहीं खुलेगा और पूर्व में भाजपा एवं विपक्ष के द्वारा जिस तरह से लालबर्ग में शासन से आईटीआई की स्वीकृति दिलाने एवं इसी सत्र से प्रारंभ करने की जो बात कही



खाली पड़ी बिल्डिंग में आईटीआई लगाने वैकल्पिक भवन।

जा रही थी वे बड़बोले नेता मुँह ताकते ही रह गये और लालबर्ग में आईटीआई खुलने की बात हवा-हवाई नजर आ रही

है और लालबर्ग आईटीआई मामले में भाजपा व कांग्रेस दोनों फेल दिखाई दे रही है।

उत्कृष्ट स्कूल के सामने स्थित सामुदायिक भवन में अस्थायी रूप से वर्ष 2025-26 में आईटीआई का संचालित करने के लिए सहमति बनी थी।

परंतु जैसे ही शासन की ओर से आईटीआई में प्रवेश के लिए नवीन सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की गई तो उसमें संस्थान चयन के दौरान लालबर्ग आईटीआई का नाम दिखाई नहीं दे

रहा है। जिससे युवाओं में शासन प्रशासन की प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है। जबकि शासन के द्वारा नवीन आईटीआई स्वीकृत होने से लालबर्ग के युवाओं में उत्साह व एक नई उमंग थी कि वे अब हमारे लालबर्ग नगर मुख्यालय में आईटीआई खुलने से हम अपने ही क्षेत्र में तकनीकी पढ़े-ई कर डिग्री लेंगे और अपना स्वयं का रोजगार या व्यापार, उद्योग जगत में नौकरी

16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध

बालाघाट। मध्यप्रदेश शासन मछली पालन विभाग द्वारा धारा-3(2) एवं संशोधित अर्धनियम 1981 के निहित प्रावधानों के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त-2025 तक की अवधि को +मत्स्य प्रजनन काल+ एवं वंश वृद्धि के संरक्षण के लिए बंद ऋतु घोषित किया गया है। इस आदेश के सम्बंध में जिला मत्स्य अधिकारी श्रीमती पूजा रोडगे ने बताया प्रतिबंधित अवधि के दौरान समस्त नदियों एवं जलाशयों में मत्स्याखेट पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। बंद ऋतु के दौरान अवैधानिक मत्स्याखेट, परिवहन, क्रय, विक्रय आदि कार्यों में भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो वह दोष सिद्धि पर कारावास या जुर्माने से दण्डनीय होगा। नियमों के उल्लंघन में मत्स्य का परिवहन करने या उन्हें पकड़ने के लिए उपयोग में लाये गये।

जनसुनवाई में आयी भूमि संबंधी समस्याओं व विवादों की जांच करेंगे एसडीएम

6 माह पूर्व मांगी जानकारी नहीं देने पर, जिम्मेदार को जारी होगा नोटिस

बालाघाट | राष्ट्रबाण

कलेक्टर मृणाल मीना ने जनसुनवाई के दौरान भूमि सम्बंधी समस्याओं व शिकायतों के निराकरण के लिए सम्बंधित एसडीएम को जांच करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को आयोजित हुई जनसुनवाई कलेक्टर श्री मीना की अध्यक्षता में जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ, एडीएम जीएस धुर्वे और एसडीएम गोपाल सोनी ने संयुक्त रूप से की। जनसुनवाई में आये आवेदनों के सम्बंध में अधिकारियों ने सम्बंधित विभागों से जानकारी प्राप्त की। जन सुनवाई में कुल 72 आवेदन प्राप्त हुए।

जनसुनवाई में पेड़ काटने की अनुमति के लिए 6 माह पूर्व दिए आवेदन के मामले में कलेक्टर श्री



कच्चे वाली भूमि पर मकान निर्माण से रोकने व धमकी देने की जांच की जाएगी

लांजी तहसील में बिरनपुर की डिलेश्वरी बंसोने ने आवेदन में कलेक्टर श्री कहा कि उनकी कच्चे वाली भूमि पर वो मकान निर्माण करना चाहती है। लेकिन अन्य व्यक्ति द्वारा मकान निर्माण कार्य

मीना ने वारासिवनी एसडीएम श्री आरआर पांडे को संज्ञान लेने के

का जवाब देने में इतनी लेट-लतीफी कैसे? एसडीएम इसकी जांच करें और जिम्मेदार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करें। कलेक्टर श्री मीना ने कटंगी के शुभम मेश्राम के आवेदन के सम्बंध में कटंगी एसडीएम श्री केंसी ठाकुर को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आवेदक के पड़ोसी द्वारा शासकीय नाली पर शौचालय निर्माण के बारे में शिकायत की गई है। यदि अवैध है और इसके अलावा किसी अन्य का अवैध निर्माण है तो उस पर भी कार्यवाही सुनिश्चित करें। लांजी में बिसोनी के नंदकिशोर रामटेकर ने कलेक्टर श्री मीना को बताया कि वो सीमांकन के लिए कई बार आये हैं लेकिन अब तक सीमांकन नहीं हुआ है।

निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि कलेक्टर की ओर से भेजे गए पत्र

का जवाब देने में इतनी लेट-लतीफी कैसे? एसडीएम इसकी जांच करें और जिम्मेदार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करें। कलेक्टर श्री मीना ने कटंगी के शुभम मेश्राम के आवेदन के सम्बंध में कटंगी एसडीएम श्री केंसी ठाकुर को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आवेदक के पड़ोसी द्वारा शासकीय नाली पर शौचालय निर्माण के बारे में शिकायत की गई है। यदि अवैध है और इसके अलावा किसी अन्य का अवैध निर्माण है तो उस पर भी कार्यवाही सुनिश्चित करें। लांजी में बिसोनी के नंदकिशोर रामटेकर ने कलेक्टर श्री मीना को बताया कि वो सीमांकन के लिए कई बार आये हैं लेकिन अब तक सीमांकन नहीं हुआ है।

ग्राम पंचायत ददिया का मामला...

निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत, ठेकेदार कर रहा काम



ग्राम पंचायत ददिया बना ठेकेदारों का अड्डा।

गई है। इसके बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर अपने आप ही सवालिया निशान उठाना लाजिम हो जाता है। बहरहाल अभी निर्माण कार्य रुका हुआ है। जिस संबंध में सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र भलावी ने दूरभाष पर बताया कि विभाग द्वारा पर्याप्त पेमेंट नहीं किया गया है फिर भी ठेकेदार द्वारा पेमेंट की तुलना में

अधिक काम कर दिया गया है। यहां पर यह बात समझना बहुत जरूरी होगा कि अनेक कार्यों की निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत होती है लेकिन वे लोग कमीशन खोरी के चक्कर में ठेकेदारों को काम दे देते हैं जिससे गुणवत्ता पूर्वक कार्य नहीं हो पाता और कुछ ही सालों में वह कार्य धराशायी हो जाता है। इन सब बातों



ठेकेदार द्वारा बनाई गई बाउंड्रीवाल।

की जानकारी जनपद स्तर पर पदस्थ कर्मचारी और अधिकारियों को भी होती है लेकिन कई वर्षों से पंचायत के काम में ठेकेदारी करने वाले ठेकेदार अपना काम करवाने के लिए स्वयं ही जनपद आते रहते हैं जो सब अधिकारी कर्मचारी और बाबू से ऐसे संबंध बना लेते हैं कि एक ठेकेदार काम तो हो जाएगा लेकिन

सरपंच और सचिव को उसी काम के लिए दो और तीन दिनों तक चक्कर काटने पड़ सकते हैं तो फिर ऐसी चिक्लस में पड़ने से बेहतर उनके द्वारा यह समझा जाता है कि ठेकेदार साहब तुम ही ऑफिस जाओ और तुम ही सारा काम करवाओ। हमें तो बस बैठे-बैठे कमीशन मिल जाए यही बहुत काफी है।

भ्रष्टाचार के नाम पर मध्यप्रदेश का राजस्व विभाग प्रथम स्थान में आता है और वही जिला मुख्यालय में तहसील भाग दो में भ्रष्टाचार और लापरवाही की चर्चा किसी से छुपी नहीं है। आम शब्दों में कहे तो भ्रष्टाचार पुरस्कार होता तो सिवनी तहसील भाग दो प्रथम स्थान से सम्मानित होती।



नीलेश चोखे, रीडर बिन लक्ष्मी न काम हो भाया।

सिवनी। राष्ट्रबाण

यहां पर स्थित बाबू एवं चपरासी अपने आप को किसी अधिकारी से काम नहीं समझते और समझे भी क्यों न आखिर इनके हिसाब से ही अधिकारी अपना काम करते हैं। जिस प्रकरण में आवेदक द्वारा पैसे या प्रभावशाली व्यक्ति से बाबू को फोन आ जाए तो उस प्रकरण में बाबू इतनी रुचि रखते हैं, कि वह साहब की टेबल के ऊपर प्रकरण नजर आ जाएगा। मजह पहली पेशी के एक से दो दिन में ही बाबू के द्वारा तहसीलदार के द्वारा प्रकरण के आदेश में हस्ताक्षर कवा लेते हैं। वही यदि आवेदक द्वारा पैसे नहीं दिया है, तो प्रकरण नीचे दबाने में यह में बाबू एवं चपरासी बहुत माहिर

जब राष्ट्रबाण के द्वारा पटवारी गौरीशंकर साहू से बात की गई तो पता चला कि बाबू निलेश चोखे द्वारा तहसीलदार के नाम से दबाव बनाया जा रहा था कि प्रकरण देखकर रिपोर्ट पेश करें। फिर पटवारी के द्वारा विरोध करने पर लगातार मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा था। फिर मजबूरन प्रकरण देखकर मेरे द्वारा रिपोर्ट दे दी गई। बात समझ से परे है कि जब रजिस्ट्री के आधार पर नामांतरण के लिए बाबू इतनी

होते हैं। जब तक इनका मकसद पूरा नहीं होता तब तक आवेदक को अपने दफ्तर के चक्कर में चक्कर लगवाते रहते हैं। फिर यदि बाबू से प्रकरण के बारे में पूछा जाता है, तब

तहसीलदार की टेबल के सामने से बाबू ले रहे रिश्तत...हे प्रभु इनसे कौन न्याय दिलाएगा?

आखिर पंकज राय को क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही डूंडासिवनी पुलिस

मामला डूंडा सिवनी (ग्रामीण) थाना अंतर्गत है कि दिनांक 05 फरवरी 2025 एफआईआर क्रमांक 0059/2025 का है। जहां पर पंकज राय पिता किशोर राय निवासी गोकुल विहार बारापत्थर मेहेरुनिशा अंसारी को नही दिया जा रहा था। हर बार सीमांकन कराने के बाद कब्जा देने के लिए हेक्टेयर 1500 वर्गफुट जमीन को स्वयं की

बातकर मेहेरुनिशा अंसारी निवासी ज्यारत नाका सिवनी को पंजीयन बैनामा करके बेच दिया। मामला तब उजागर हुआ जब पंकज राय द्वारा विक्रय की गई रजिस्टर्ड जमीन का कब्जा मेहेरुनिशा अंसारी को नही दिया जा रहा था। हर बार सीमांकन कराने के बाद कब्जा देने के लिए कहकर टाला जा रहा था। तब मेहेरुनिशा

अंसारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिवनी को प्रकरण की जानकारी दी गई तो पता चला कि यह मामला फर्जी फौती बनवाकर फर्जी वसीयतनामा तैयार करके जमीन अपने नाम पर करवा लिया। फिर वह जमीन को मेहेरुनिशा अंसारी को विक्रय कर दिया। वास्तविक में भूमि स्वामी चेताराम राय है जोकि जीवित है।

तहसीलदार के नाम पर बनाया दबाव!



बारीकी से दस्तावेज देखता है और पटवारी प्रतिवेदन का इंतजार करता

है। फिर पंकज राय के मामले पर बाबू ने इतनी रुचि के साथ

लापरवाही कैसे किया। जमीन किसी और की कागज में उसे मुत

बाबूराज की गिरफ्त में फंसे जिम्मेदारों के कार्यालय।

बताकर जगह किसी और के नाम कर दिया यह कारनामा मामूली नहीं। आखिर पंकज राय और बाबू निलेश चोखे के कैसे मधुर संबंध हैं, जिस वजह से प्रकरण को आंख बंद करके बिना किसी भय के फर्जी फौती एवं वसीयत बनवाकर पास कर दिया। इस प्रकरण में यदि पंकज राय गिरफ्तार होता है तो मामले की सच्चाई उजागर हो जाएगी और चौखे बाबू की भूमिका भी स्पष्ट हो जाएगी ?

तहसीलदार पर अवैध बंटवारा और मकान तोड़ने का आरोप

अपर कलेक्टर ने दिए एक सप्ताह के भीतर जांच प्रतिवेदन भेजने के निर्देश



शंकरलाल मालवीय, पीड़ित।

बैतूल। राष्ट्रबाण

कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में लोहिया वार्ड निवासी शंकरलाल मालवीय ने गंभीर आरोप लगाते हुए आवेदन प्रस्तुत किया है। उन्होंने तहसीलदार द्वारा की गई कार्रवाई को अवैधानिक बताते हुए उनके विरुद्ध सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं 1966 के तहत कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर कार्यालय से इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल को निर्देश जारी कर एक सप्ताह के भीतर जांच कर

तथ्यात्मक प्रतिवेदन भेजने को कहा गया है।

शंकरलाल ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि उनकी परिवर्तित भूमि मौजा हमलापुर के खसरा नंबर 219/71 रकबा 0.016 हेक्टेयर और खसरा नंबर 219/121, 219/206 है। उन्होंने बताया कि इस भूमि से संबंधित बंटवारा आदेश राजस्व प्रकरण क्रमांक 204/अ-27 वर्ष 2016-17 में दिनांक 28 मई 2018 को किया गया था। इस आदेश से जुड़ी जानकारी उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 30 नवंबर 2021 को मांगी थी, लेकिन उन्हें आज तक कोई सूचना नहीं दी गई।

आवेदक ने यह भी बताया कि इसी भूमि के संबंध में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 08/ब/121 वर्ष 2018-19 में दिनांक 22 अप्रैल 2019 को उनके मकान को अवैध रूप से तोड़ दिया गया। इस कार्यवाही में

किन धाराओं और नियमों के तहत तहसीलदार को अधिकार प्राप्त थे, इसकी भी जानकारी उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत 20 सितंबर 2021 को मांगी थी, परंतु इसका भी कोई उत्तर नहीं मिला।

शंकरलाल मालवीय का आरोप है कि तहसीलदार ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भूमि का अवैध रूप से बंटवारा किया, उनके आवासीय भूखंड पर बने मकान को भी तोड़ डाला। उन्होंने आरोप लगाया कि भू- राजस्व संहिता में कहीं भी तहसीलदार को आवासीय भूखंडों का बंटवारा करने अथवा मकान तोड़ने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर यह कार्य किया। शंकरलाल ने अपने आवेदन में इस पूरे मामले की तत्काल जांच कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति भी संलग्न की गई है।

पहले कबाड़ा बेचने के लग चुके है आरोप



गंगाराम साकुरे, प्राचार्य : शिक्षा जाए भाड़ में नोट कमाओ आड में ?

सिवनी। राष्ट्रबाण

सिवनी नगर में तिलक हाई स्कूल में प्राचार्य गंगाराम साकुरे का नाम अकसर विवादों में रहता है। कभी यह अपने कार्यालयीन समय से पहले स्कूल से जाने को लेकर सुविधा बटोरते है तो कभी स्कूल में हो रहे निर्माण कार्यों में कमीशन और कबाड़ बेचने के लिए चर्चित रहते है। वर्तमान में प्राचार्य गंगाराम साकुरे स्कूल में शौचालय मरमत कार्य में 10 रुपये के कमीशन को लेकर चर्चा में है।



तिलक हाई स्कूल, स्कूल बंदनाम हुआ प्राचार्य तेरे लिए।

तीन बच्चों की शिकायत भी लबित

शिक्षा विभाग में तीन बच्चों के प्रकरण में तिलक स्कूल के प्राचार्य गंगाराम साकुरे की शिकायत नगर के एक युवक द्वारा की गई है। इस प्रकरण पर जिला शिक्षा अधिकारी को जाँच के लिए निर्देशित किया गया है लेकिन इसे सिस्टम की खराबी ही कहेंगे की महीनो से यह जाँच शिक्षा विभाग में धूल खा रही है लेकिन इस शिकायत पर विभाग द्वारा जाँच पूरी नहीं की जा रही है। विभागीय सूत्रों की माने तो प्राचार्य गंगाराम ने इस शिकायत पर जाँच अधिकारी को मैनेज कर आर्थिक लाभ पहुँचाया है जिसके चलते विभाग द्वारा जाँच को लंबित कर रखा गया है।

जानकारों की माने तो स्कूल में शौचालय की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए 50 हजार रुपये की राशि शासन द्वारा दी गई। सूत्रों की माने तो शौचालय मरमत कार्य में प्राचार्य द्वारा 10 हजार का कमीशन मांग कर एक शिक्षक को यह दे दिया गया। कमीशन से मिले काम में शिक्षक द्वारा मनमानी कार्य करते हुए घंटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इस कार्य

को महज 10 से 15 हजार में निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में जब प्राचार्य गंगाराम साकुरे से संपर्क किया गया तो वह इस मामले में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, बल्कि रिपोर्टर से क्या समस्या है पूछने लगे।

प्राचार्य द्वारा सामने से घंटिया कार्य संरक्षण दे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। बता दे की पूर्व भी

तिलक स्कूल में निर्माण कार्य में एक भाजयुमो नेता के साथ मिलकर जमकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। सूत्र बताते हैं की उस कार्य में भाजयुमो के द्वारा 10 प्रतिशत का कमीशन प्राचार्य को देकर निर्माण कार्य में खुला भ्रष्टाचार किया गया था। भाजयुमो नेता और प्राचार्य ने मिलकर शासकीय धन से होली खेलते खूब लूट मचाई।

वन विद्यालय कालापाठा में कार्यशाला का आयोजन



उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम वन विद्यालय कालापाठा में कार्यशाला का आयोजन।

उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत कार्यशाला आयोजित

बैतूल। राष्ट्रबाण

उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को वन विद्यालय कालापाठा में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान डीपीसी जितेन्द्र कुमार भनारिया द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष द्वीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया।

कार्यशाला में जिले भर के ब्लॉक सह-समन्वयक एवं संकुल सह-समन्वयक शामिल हुए। राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के निर्देशानुसार उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम में सर्वे, प्रचार प्रसार, अक्षरसाथी का चयन,

परीक्षा पूर्व की तैयारी, मूल्यांकन एवं मॉडल सामाजिक चेतना केन्द्र के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। मंच संचालन नेमीचंद मालवीय ने किया। उक्त कार्यशाला में जिले से विकासखंड शिक्षा अधिकारी बैतूल नवीन प्रहलादी, प्रभात पट्टन विकासखंड शिक्षा अधिकारी आशीष शर्मा, सहायक परियोजना समन्वयक राजेश तुरिया, लेखा वित्त अधिकारी गणेश प्रसाद सोनी, जि.सह समन्वयक कुशलेश धाड़से, बीआरसी बैतूल श्री दुर्गेश रघुवंशी, आमला बीआरसी मनीष धोटे एवं ब्लॉक सह समे न्ययकों में राजेश झाड़े, गणेश देशमुख, संजय सूर्यवंशी, राजेश निरापूरे, प्रवीण नरवरे, सेवाराम गायकवाड़, मनीष हुस्माड़े, अजय लाल, कल्पनाथ भारद्वाज, श्रीमती नलिमा शर्मा एवं समस्त संकुल सह समन्वयक उपस्थित रहे।

पहले भी लगे है आरोप

तिलक स्कूल के प्राचार्य गंगाराम साकुरे कोई पहली बार विवादों में नहीं आये है, इसके पूर्व में गंगाराम साकुरे पर स्कूल से कबाड़ बेचने के आरोप लग चुके हैं। सूत्र बताते हैं की गंगाराम साकुरे ने बिना कोई निविदा प्रकाशन के लाखों का कबाड़ बेच दिया। इस मामले की जानकारी आज तक विभाग को नहीं है या यूँ कहें की शिक्षा अधिकारी सब कुछ जानकर अनजान बने हुए हैं। तो गंगाराम साकुरे के प्राचार्य रहते हुए तिलक स्कूल के छात्रों के द्वारा पुताई का मामला सामने आया था जिसमे वीडियो पर छात्र पुताई करते स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। इस मामले को राष्ट्रबाण द्वारा प्रमुखता से उठाया गया, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने जाँच के निर्देश दिए थे। प्राचार्य की लवर और लापरवाह कार्यप्रणाली का ही परिणाम है की तिलक स्कूल का रिजल्ट खराब आया। स्कूल में मात्र छः छात्र ही उत्तीर्ण हुए।

बैतूल में पत्नी ने युवती को बीच सड़क पर पीटा

पति से फोन पर बात करने से नाराज थी; बाल खींचकर 10 मिनट तक कारण पूछती रही

बैतूल। राष्ट्रबाण

बैतूल के लल्लू चौक पर एक महिला ने एक दुकान में काम करने वाली युवती की जमकर पिटाई कर दी। खंजरपुर की रहने वाली महिला ने युवती को अपने पति से फोन पर बात करने के कारण पीटा। महिला ने युवती को लल्लू चौक के पास देखते ही पकड़ लिया। उसने युवती के बाल पकड़कर मारपीट शुरू कर दी।

युवती लगातार छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन महिला ने उसे नहीं छोड़ा। घटनाक्रम करीब 10 मिनट तक चलता रहा।

वायरल किया वीडियो

वीडियो में महिला, युवती से कह रही है कि उसने पहले भी पति से बात न करने के लिए बोला था। घटना के दौरान वह बार-बार युवती से पूछती रही कि वह उसके पति से क्यों बात करती है। मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। कोतवाली थाना प्रभारी रविकांत डहिरिया ने बताया कि अभी तक इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है।